

बिहार सरकार
विधि विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-बी0/मु0स्था0-02-02/2010/90/जे0, दिनांक-12.08.2013

विधि विभागीय बजट शाखा (जी0) में श्री राजीन्दर कुमार, सहायक के पदस्थापन के फलस्वरूप इस शाखा में सम्पादित किए जा रहे कार्यों को निम्नरूपेण सहायकों बीच आवंटित किया जाता है:-

क्रम संख्या	सहायक का नाम	कार्य का विवरण
1	2	3
(क)	श्री दिनेश कुमार शर्मा	पूर्व से आवंटित कार्य यथा:- (i) योजना (राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना से संबंधित निर्माण कार्य) से संबंधित कार्य (ii) परिवार न्यायालय योजना एवं स्थापना बजट संबंधी कार्य। (iii) योजना से संबंधित सभी स्तर के बैठक संबंधी कार्य। (iv) केन्द्र प्रायोजित योजना से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेजे जाने संबंधी कार्य। (v) समय-समय पर प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा दिये गये अन्य महत्वपूर्ण कार्य।
(ख)	श्री ई0 हेम्ब्रम	गैर-योजना अन्तर्गत मुख्य 2014 न्याय प्रशासन से संबंधित सभी उपशीर्षों के बजट संबंधी सभी कार्य यथा:- (i) बजट तैयार करना/पुनरीक्षित प्राक्कलन/आवंटन/प्रत्यर्पण तथा व्यय विवरणी का संधारण। (ii) लेखा सत्यापन संबंधी कार्य। (iii) गैर-योजना संबंधी वित्त विभाग से निर्गत/परिपत्रों निर्देशों का संधारण एवं अनुपालन प्रतिवेदन। (iv) गैर-योजना बजट संबंधी सभी स्तर पर होने वाली बैठक संबंधी कार्य (v) समय-समय पर प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा दिये गये अन्य महत्वपूर्ण कार्य।
(ग)	श्री प्रमोदानंद झा (संविदा पर)	(i) बिहार न्यायिक अकादमी का स्थापना बजट एवं योजना। (ii) 13वाँ वित्त आयोग से संबंधित सभी कार्य। (iii) ए0सी0/डी0सी0बिल (iv) उक्त कार्यों से संबंधित सभी स्तर के बैठक संबंधी कार्य। (v) वित्त विभाग/भारत सरकार से अपेक्षित प्रतिवेदनों संबंधी कार्य। (vi) समय-समय पर प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा सौंपे गये महत्वपूर्ण कार्य।

(घ)	श्री राजीन्दर कुमार	<p>(i) सभी बजट शीर्षों का निरीक्षण प्रतिवेदन/अंकेक्षण प्रतिवेदन संबंधी कार्य।</p> <p>(ii) लोक लेखा समिति/प्रारूप कंडिका संबंधी सभी कार्य।</p> <p>(iii) गैर-योजना मद अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ/2250-अन्य सामाजिक सेवाएं एवं 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अधीन पीड़ित प्रतिकर का बजट संबंधी सभी कार्य (बजट प्राक्कलन तैयार करना/आवंटन/प्रत्यर्पण/व्यय विवरणी संधारण आदि)</p> <p>(iv) लेखा सत्यापन संबंधित कार्य।</p> <p>(v) समय-समय पर प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा सौंपे गये महत्वपूर्ण कार्य।</p>
-----	---------------------	---

2. पूर्व में निर्गत बजट शाखा से संबंधित कार्यावंटन आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

3. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।


ह0/-अनिल कुमार सिंह

सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञापांक6095...../जे0 , पटना, दिनांक ...13/08/13

प्रतिलिपि:- विधि विभाग के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं बजट शाखा के सभी संबंधित सहायकों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. बजट शाखा के संबंधित सहायकों को निदेशित किया जाता है कि वे इस कार्यावंटन आदेश के आलोक में अपने-अपने कार्य के अनुरूप संचिकाओं का आदान-प्रदान तीन-दिनों के अन्दर करके तदनुसार कार्य प्रारम्भ कर देना सुनिश्चित करेंगे।


(अनिल कुमार सिंह) 13.8.13.

सरकार के अवर सचिव, बिहार।
13/8/13